

30/8/17

पत्रावली का लोक अदालत में निस्तारण नहीं हो सका/पत्रावली वास्ते दि. को पेश हो।

दिनांक 25/8/17

अध्यक्ष एवं उप खण्ड अधिकारी लोक अदालत (रामगढ़) अलवर

25-8-17

मैत्रायणिक महासंघ के कारमिकों का सामूहिक अदालत पत्रावली वास्ते दिनांक 10-11-17 को पेश हो।

रीडर

10-11-17

वादी के बकील/वकुलाय उपस्थित/बीजासीन अधिकारी

नकल दिलाई गई। वास्ते दिनांक 15-4-18 को पेश हो।

19.1.18

वादी के बकील/वकुलाय उपस्थित/बीजासीन अधिकारी नकल दिलाई गई। वास्ते दिनांक 20.4.18 को पेश हो।

21-5-18:-

पञ्चायत आर्य समाज के द्वारा, वेंभकोर, आर्य समाज के माध्यम से पेश हुई। उपर्युक्त पक्षकारान् द्वारा, पत्रावली पुरानी प्रमाणों के साथ पेश की गई। इनके द्वारा प्रमाणों के साथ पेश की गई। पत्रावली के निस्तारण होने तक प्रमाणों की जांच नहीं की जा सकती। पत्रावली के निस्तारण के साथ शामिल रहे।

उप खण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)

वादी के बकील/वकुलाय उपस्थित/बीजासीन अधिकारी

नकल दिलाई गई। वास्ते दिनांक 20.4.18 को पेश हो।

दिनांक 20.4.18 को पेश हो।

रामसिंह राजगुमार 2/208/2015

12/11/18